




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 93/2017

उनवानी :- सलीम बनाम असफाक अहमद व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
18.03.2026    <del>सलीम</del>	<p>पत्रावली पेश हुई। सायल अधिवक्ता उपस्थित आये। सायल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। विद्द्रो कर मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 93/2017 उनवानी सलीम बनाम असफाक अहमद व अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 04.08.2017 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्द्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>